छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा   षष्ठम् सत्र   अंक-02

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2020</u>

(फाल्गुन 6, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

मान‍नीय अध्यक्ष ने श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन की पूर्व मंत्री के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सदस्य डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, मोहन मरकाम, धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, बृजमोहन अग्रवाल, अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, सदस्य सर्वश्री अरूण वोरा, शैलेष पाण्डेय, अजीत जोगी, श्रीमती अंबिका सिंहदेव, श्री रामकुमार यादव, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री, श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, सदस्य, सर्वश्री विकास उपाध्याय, धनेन्द्र साहू, डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री, श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये ।

सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर मौन धारण किया गया । दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिये संवेदना प्रकट की गई ।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.50 बजे स्थगित होकर 12.08 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

2.जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री, को जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दी तथा स्वस्थ, सुदीर्घ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की ।

3.सदन को सूचना

विधानसभा परिसर स्थित सेन्ट्रल हॉल में प्रवेश की सुविधा

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि विधान सभा परिसर स्थित सेन्ट्रल हॉल में प्रवेश की सुविधा इस सत्र से प्रारंभ की जा रही है । सेन्ट्रल हॉल में माननीय मंत्रिगण, माननीय विधायक, पूर्व विधायक, माननीय सांसद, पूर्व सांसद, पत्रकार दीर्घा में प्रवेश के पासधारी पत्रकार एवं विशेष पासधारी गणमान्य व्यक्ति तथा "सेन्ट्रल हॉल में प्रवेश हेतु अनुमत" अंकित सील के प्रवेश पासधारी व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे ।

4. पृच्छा

सर्वश्री नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल एवं अन्य सदस्यों द्वारा कथन किया गया कि प्रदेश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदेश में धान नहीं खरीदा जा रहा है । किसानों के उपर लाठीचार्ज किया जा रहा है ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि औपचारिक कार्य के बाद मैं स्थगन प्रस्ताव ले रहा हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह सदस्य एवं श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की तथा कथन किया कि उसके बाद ही हम चर्चा के लिये तैयार होंगे ।

5. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में किसानों का धान नहीं खरीदे जाने एवं किसानों पर लाठीचार्ज किये जाने संबंधी 18 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई ।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने कथन किया कि सभी विधान सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं । विधान सभा नियम प्रक्रिया से ही चलती है तथा आग्रह किया कि जो स्थगन लाया गया है, उसे स्वीकार कर चर्चा कराई जाये ।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

माननीय अध्यक्ष द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा कथित आपत्तिजनक शब्दों को विलोपित किये जाने की घोषणा की ।

(12.24 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर 12.46 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आसंदी से आग्रह किया कि माननीय मंत्री को इस संबंध में माफी मांगनी चाहिये ।

माननीय अध्यक्ष ने कार्यवाही में दोनों पक्ष के सदस्यों से आये असंसदीय शब्दों को विलोपित करने हेतु निर्देशित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि जब तक मंत्री माफी नहीं मांगेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मंत्री से कोई सवाल-जवाब नहीं करेंगे और यह बहिष्कार पूरे सत्र के लिये होगा ।

6. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा चर्चा हेतु श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर श्री अजय चन्द्राकर, डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री धरमलाल कौशिक तथा विपक्ष के अन्य सदस्यों ने आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों से 15 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की मांग की गयी ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि वह घोषणा मुख्यमंत्री जी ही करेंगे मगर प्रदेश में वस्तुस्थिति क्या है, उसको जानने की जरूरत है ।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

प्रतिपक्ष के सदस्य नारे लगाते हुये गर्भगृह में आये ।

7. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, पून्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, विद्यारतन भसीन, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री धर्मजीत सिंह, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती इन्दू बंजारे,

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

(1.27 बजे से 3.00 बजे तक अन्तराल ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

8.कार्यमंत्रणा समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिये सिफारिश की गई, जो इस प्रकार है :-

1. **<u>वित्तीय कार्य</u>**

(1) वित्तीय वर्ष 2019-2020 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन (मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2020 को तथा इस अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020 को रखा जाये तथा इस पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है।

(2) वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक का उपस्थापन मंगलवार, दिनांक 3 मार्च, 2020 को मध्यान्ह 12:30 बजे किया जायेगा तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा बुधवार, दिनांक 4 मार्च, 2020 एवं गुरूवार, दिनांक 5 मार्च, 2020 को होगी।

(3) शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च, 2020 से गुरूवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 को अपराह्न 4:00 बजे तक वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जायेगा।

(4) शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक की अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया, जो इस प्रकार है :-

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री	- 2 घंटे 30 मिनट
(2) श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री	- 2 घंटे 30 मिनट
(3) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री	- 2 घंटे 30 मिनट
(4) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री	- 2 घंटे
(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री	- 2 घंटे
(6) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री	- 2 घंटे
(7) श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	- 2 घंटे
(8) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री	- 2 घंटे
(9) श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री	- 2 घंटे
(10) श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री	- 2 घंटे
(11) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री	- 2 घंटे
(12) श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री	- 2 घंटे
(13) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री	- 2 घंटे

2. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 पर चर्चा हेतु 45 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) **पटल पर रखा।**

10. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019

(2) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, तथा

(3) श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन

पटल पर रखे।

11. नवम्बर-दिसम्बर, 2019 सत्र के समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार नवम्बर-दिसम्बर, 2019 सत्र का 2 दिसम्बर, 2019 को समय पूर्व सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 03, 04, 05 एवं 06 दिसम्बर, 2019 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी को प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

12. नवम्बर-दिसम्बर, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार नवम्बर-दिसम्बर, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

13. नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2019 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2019 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

14. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2019 सत्र में पारित कुल 8 विधेयकों में से सभी 8 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

15.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा
(2) श्री धनेन्द्र साहू
(3) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री देवव्रत सिंह

16. ध्यानाकर्षण/शून्यकाल सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचनाएं कल ली जायेगी तथा शून्यकाल की सूचनाएं बाद में ली जावेगी ।

17.वित्तीय वर्ष 2019-2020 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020 की तिथि निर्धारित की ।

18. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में सम्मलित नियम 139 की चर्चा आगामी दिवस में ली जावेगी ।

19. निलंबन समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

अपरान्ह 03.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2020 (फाल्गुन 7, शक संवत् 1941) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा